

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द
(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 23/2018

दायर दिनांक : 14.08.2018

आदेश दिनांक : 07.11.2019

—अनवान—

1. श्री लालुराम पिता चुन्नीलाल नंगारची
2. श्री किशना पिता मोती नंगारची
3. श्री मांगीलाल पिता गणेश नंगारची
4. श्रीमती लेहरी पत्नी कन्हैयालाल नंगारची
5. श्री सोहनलाल पिता कन्हैयालाल नंगारची
6. श्री रणजीत पिता कन्हैयालाल नंगारची
7. श्री रवि पिता कन्हैयालाल नंगारची
8. श्री चुन्नीलाल पिता मोतीलाल नंगारची

राभी आयु वयस्क निवासी ग्राम मोरचना तहसील व जिला राजसमन्द

—प्रार्थी

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. परियोजना निदेशक, नेशनल हाईवे प्राधिकरण 10 ए पंचवटी उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार राजसमन्द

—अप्रार्थीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उप धारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997

उपस्थित

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री अनुराग शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2
4. श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3



प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 7057/2015, 7056/2015 और 6835/2015 में पारित आदेश के अनुक्रम में प्रस्तुत किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2016 को उक्त तीनों रिट याचिका को निर्णित करते हुए यह आदेश पारित किया कि Learned counsel for the petitioners submits that the requisite construction work has already been under taken by the NHAI for widening of NH-8 but so far, petitioners have not been paid Compensation determined by the Land Acquisition Officer.

✓

Mr. Sanadhya appearing for respondent NHAI submits that in terms of award, requisite amount of compensation has already been deposited with the Land Acquisition Officer.

In this view of the matter, now nothing survives for adjudication in this writ petition so far as acquisition proceeding are concerned,

However, the grievance of the petitioners that they have not been paid compensation still survives. Therefore. All these petitions are disposed of with a direction to the Land Acquisition officer to consider the representation of the petitioners for disbursement of amount of compensation on their furnishing requisite proof about their title over the land in question. The Land Acquisition officer is expected to examine the representation of the petitioners objectively and pass appropriate order for facilitating the disbursement of the requisite amount of compensation to all the petitioners as expeditiously as possible preferably within a period of two months from the date of submission of representation. The requisite representation may be submitted by the petitioners within a period of fifteen days from today.

A copy of this order be placed in all the connected files.

उक्त आदेश का उल्लेख करते हुए आदेश की पालना में प्रार्थी ने सक्षम अधिकारी के यहां पर क्लेम आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा अपनी अवाप्तशुदा भूमि एवं भवन के संबंध में मुआवजे की मांग की गयी। साथ ही भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवार्ड अदा करने के लिये मांग की गयी। प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 16.04.2018 को पंजीकृत सूचना पत्र प्रेषित कर मुआवजा राशि भुगतान करने के लिये सूचित किया।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 1 की ओर से जवाबदेही प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अभिलेख से संबंधित है। प्रार्थी द्वारा स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से भुगतान नहीं किया गया है। उक्त भूमि आबादी भूमि न होकर महफूज चरनोट में स्थित होने से एवं स्वामित्व दस्तावेज पेश नहीं करने से कोई एवार्ड जारी नहीं किया। उक्त भूमि महफूज चरनोट अर्थात् सरकारी होने से भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा देय नहीं है। आराजी नम्बर 297 महफूज चरनोट है तथा आराजी नम्बर 308 के स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं तथा भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रपत्र दस्तावेज पूर्ण नहीं किये हैं। इसलिये भुगतान नहीं किया गया है। दस्तावेज पेश करने पर संबंधित पक्षकार को भुगतान किया जा चुका है। प्रस्तुत याचिका आधारहीन है जो खारिज होने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं एवार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में प्रार्थीगण ने उक्त भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने हेतु आपत्ति पेश करने के उपरान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें विपक्षी की ओर से यह जवाबदेही रही कि अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा विपक्षी द्वारा एवार्ड के अनुसार मुआवजा राशि सक्षम

M

अधिकारी भूमि अवाप्ति के यहां पर जमा करवा दी गयी है। जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 12.05.2016 को रिट याचिका का निस्तारण करते हुए यह निर्देश जारी किया है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी प्रार्थीगण के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण को मुआवजा राशि का भुगतान करें। आदेश की पालना में प्रार्थीगण ने सक्षम अधिकारी भू अवाप्ति के यहां पर मुआवजा प्राप्त करने हेतु प्रतिवेदन नियत अवधि में प्रस्तुत कर दिये लेकिन प्रार्थीगण को मुआवजा राशि अदा नहीं की गयी। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि के स्वामित्व एवं आधिपत्य के संबंध में आवश्यक दस्तावेज एवं औपचारिकताएं भी पूरी कर दी है लेकिन प्रार्थीगण को मुआवजा राशि का भुगतान तय करने के बाद भी अदा नहीं किया गया। प्रार्थी ने अदा करने के लिये बार बार मौखिक रूप से भी निवेदन किया लेकिन राशि अदा नहीं की गयी। जबकि जिन लोगों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश नहीं की थी उन्हें राशि का भुगतान कर दिया गया है। प्रार्थी अवाप्तशुदा भूमि पर 50 वर्षों से अधिक समय से काबिज है और परिवार सहित निवास कर रहा है व उपयोग उपभोग कर रहा है। मुआवजा भुगतान करने हेतु दिनांक 15.01.2018 को तहसीलदार राजसमन्द से रिपोर्ट तलब करायी गयी जिसमें ग्राम मोरचना के खसरा नम्बर 297 व 308 की मौके पर पृथक पृथक जांच कर परचा मौका, नजरी नक्शा एवं भूखण्डों के प्रमाणित दस्तावेज/पट्टों सहित दोनों खसरा की रिपोर्ट हितबद्ध व्यक्तियों का कितना-कितना भू-भाग फोरलाईन सड़क में उपयोग कर लिया गया है, इस बाबत रिपोर्ट चाही गयी। उक्त आराजी के संबंध में मुआवजा राशि का निर्धारण सक्षम अधिकारी द्वारा किया जा चुका है तथा स्वामित्व के सत्यापन के संबंध में भी प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रमाणित किया जा चुका है लेकिन प्रार्थीगण को ही मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। यह भी निवेदन किया कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत उक्त मामले में दिनांक 01.01.2015 से लागू हो चुके हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मानसिंह बनाम भारत संघ के मामले में 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिये जाने के निर्देश/आदेश इसी से लगी हुई भूमि के संबंध में प्रदान किये गये हैं लेकिन प्रार्थी को मुआवजा राशि का भुगतान एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत भुगतान नहीं की गयी है। उक्त मोरचना ग्राम की भूमि के संबंध में अन्य व्यक्तियों के साथ प्रार्थीगण की भूमि भी अवाप्त की गयी है और इसी एवार्ड में से एक प्रार्थी श्रीकिशन व अन्य ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा अदा करने के लिये रिट याचिका संख्या 3850/2018 श्रीकिशन बनाम भारत संघ प्रस्तुत की थी, जिसमें दिनांक 27.09.2018 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा राशि अदा करने के निर्देश दिये गये जिनका मुआवजा जारी कर भुगतान कर दिया गया है लेकिन प्रार्थीगण को मुआवजा अदा नहीं किया गया जबकि एक ही गांव एवं एक ही आराजी व एवार्ड से संबंधित मामला है। प्रार्थीगण का प्रकरण उक्त आदेश से विपरीत नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर भुगतान किये जाने के निर्देश फरमाये जावे।


विपक्षी द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने स्वामित्व के दस्तावेज एवं क्लेम आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था इस कारण से उन्हें भुगतान नहीं किया गया तथा उक्त भुगतान के संबंध में सक्षम अधिकारी से भुगतान स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी इस कारण से भुगतान नहीं किया गया। प्रार्थी की आराजी भूमि महफुज चरनोट किस्म आबादी भूमि होने से प्रार्थी को मुआवजा राशि भुगतान नहीं की गयी। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते हैं। मुआवजा का निर्धारण विधिनुसार सही किया गया है। प्रार्थी की याचिका आधारहीन है अतः खारिज फरमायी जावे।

M


उभय पक्ष की बहस पर मनन, विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में उक्त अवाप्ति की कार्यवाही के संबंध में रिट याचिका प्रस्तुत की गयी थी जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 12.05.2016 को पारित निर्णय अनुसार प्रार्थी को नियमानुसार मुआवजा राशि भुगतान करने के निर्देश दिये गये हैं लेकिन वादग्रस्त भूमि महफुज चरनोट किस्म आबादी होने से उक्त भूमि आराजी नम्बर 297 में स्थिति होने से विपक्षी द्वारा उक्त प्रार्थीगण को अदा नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से यह प्रमाणित है कि प्रार्थीगण के उक्त भूमि पर मकानात/सरचना निर्मित थी जिसको भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में हटाया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का प्रार्थीगण मुआवजा चारागाह भूमि होने से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण के उक्त भूमि पर मकानात/सरचना जो निर्मित थी उसका विधिनुसार मुआवजा तय कर भुगतान के लिए विपक्षी जवाबदेही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 12.05.2016 की अनुपालना में यदि अन्य प्रकरणों में बिलानाम भूमि पर बने मकानात/सरचना का मुआवजा दिया है तो इस आधार पर प्रार्थीगण के बने हुए मकान/सरचना का विपक्षीगण नेशनल हाईवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार मुआवजा राशि निर्धारित कर भुगतान संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

—:आदेश:—

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 12.05.2016 की अनुपालना में यदि अन्य प्रकरणों में बिलानाम भूमि पर बने मकानात/सरचना का मुआवजा दिया है तो इस आधार पर प्रार्थीगण के बने हुए मकान/सरचना का विपक्षीगण नेशनल हाईवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार मुआवजा राशि निर्धारित कर भुगतान संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की एक प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सक्षम प्राधिकारी अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को लौटायी जावे।


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

आदेश आज दिनांक 07.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

